(v) इस प्रस्ताव को 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति सरकार से प्राप्त करनी होगी ।

(vi) पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11–7–2014 को जारी दिशा–निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए ।

(vii) पैट्रोल पम्प/Fueling Station की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए ।

(viii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) के साथ–साथ व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(ix) इस विभाजक द्वीप का कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाएगा । साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा साथ लगते वन और वन भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

(x) और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे । स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(xi) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

(xii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएंगी ।

(xiii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xiv) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xv) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।

(xvi) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29–1–2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(xvii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा–2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । <u>अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।</u>

मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. अपर वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, पानीपत ।
3. Chief Divisional Retail Sales Manager, IOC Ltd., Panipat.

कार्यालयः-
उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) पानीपत।
वन विभाग, हरियाणा सरकार
वन परिसर असन्ध रोड़, पानीपत, दूरभाष/ फैक्स न0:- 0180-2650331 E-Mail:- dfopanipat04@yahoo.co.in

दिनांक:- 29/08/19

क्रमांक:- 929
सेवा में:-

Chief Divisional Retail Sales Manager,
IOCL, Panipat
Address: Panipat Divisional Office,
Panipat Marketing Complex, Vill. Baholi,
Distt. Panipat-132140

विषय : **Diversion of 0.0294 Ha. Forest Land for development of proposed Retail Outlet on Safidon to Gohana Road, RD 135.854 (RHS) at Village Seenk Block Israna, Distt. Panipat.**

Proposal No.FP/HR/Approach/40931/2019
Date of Proposal:- 04-07-2019

....

मु0व0सं0, (एफ0सी0ए0), कार्यालय-प्र0मु0व0सं0, हरियाणा, पंचकूला के सन्दर्भाकिंत पत्र द्वारा प्रस्तावित केस से सम्बन्धित उपर्युक्त उद्देश्य हेतू 0.0294 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति (प्रति संलग्न) शर्तें पूर्ण करने पर प्रदान की गई है। जिसके अनुसार निम्न कार्यवाही बारे लिखा है:-

बिन्दु नं0 1 से 3:- प्रयोक्ता एजेन्सी से प्रतिपूर्ति पौधारोपण एवं माननीय उच्चतम न्यॉयलय के आदेशानुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि की प्रतिपूति पोधारोपण राशि जमा करवाई जाये। आप प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जो कि प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम अनुसार आप द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम अनुसार 1,59,381/- रूपये (Rs. One Lakh Fifty Nine Thousand Three Hundred Eighty One only) की राशि संलग्न सी0ए0 स्कीम अनुसार नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक,(एफ.सी.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला से वैरिफाई करवाते हुए तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु मन्त्रालय की साईट से ऑन लाईन चालान बनाकर उक्त राशि हरियाणा के कैम्पा खाते में जमा करवाकर तुरन्त मण्डल कार्यालय को अवगत करवाये।

बिन्दु नं0 4:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 की अनुपालना में जिलाधीश द्वारा जारी प्रमाण पत्र ऑनलाईन करते हुये तथा FRA Certificate की मूल प्रति तुरन्त इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न:-सी0ए0 स्कीम व स्वीकृति पत्र।

उप वन संरक्षक,
पानीपत।

पृ0 क्रमांक:- दिनांक:-

इसकी एक प्रति मु0व0सं0, (एफ0सी0ए0), प्र0मु0व0सं0, हरियाणा पंचकूला का पत्र क्रमांक-प्रशा-डी-तीन-8961/1866 दिनांक 27-08-2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

-sd-
उप वन संरक्षक,
पानीपत।

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–8961/ 1866 दिनांकः 27-08-19

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल,
रोहतक ।

विषयः Diversion of 0.0294 ha. of forest land for access to retail outlet of IOC Ltd. along Safidon-Gohana road, RD 135.854, R/side, at Village Seenk, under forest division and District Panipat, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Approach/40931/2019
संदर्भः आपका पत्र कमांक 1181 दिनांक 22–8–2019 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.0294 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008, 24–4–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।

(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।

(iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
(ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा ।
(iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

Proposal Name: **Diversion of 0.0294 Ha. Forest Land for development of proposed Retail Outlet on Safidon to Gohana Road, RD 135.854 (RHS) at Village Seenk Block Israna, Distt. Panipat.**

Proposal No.FP/HR/Approach/40931/2019
Date of Proposal:- 04-07-2019

Detail of Year Wise Plantation and Maintenance Cost and Other Expenditure

S. NO.	DESCRIPTION			RATE	AMOUNT
A	Compensatory Afforesatation Charges		No. of Plants		
	Ist Year cost of afforestation		100	Rs. 359.10 Per Plant	35910
	IInd Year Maintenance			Rs. 115.35 Per Plant	11535
	IIIrd. Year Maintenance			Rs. 41.89 Per Plant	4189
	IVth.Year Maintenance			Rs. 15.58 Per Plant	1558
	Vth Year Maintenance			Rs. 15.58 Per Plant	1558
	VIth Year Maintenance			Rs. 15.58 Per Plant	1558
	VIIth Year Maintenance			Rs. 15.58 Per Plant	1558
	VIIIth Year Maintenance			Rs. 15.58 Per Plant	1558
	IXth Year Maintenance			Rs. 15.58 Per Plant	1558
	Xth Year Maintenance			Rs. 15.58 Per Plant	1558
	Berbed wire fencing charges		RKM 0.4	Rs. 76700/- Per RKM	30680
				Total Charges	93,220
	Supervisory/Overhead/Miscellaneous Charges			10% on the CA Charges	9,322
				Total (A) CA Charges	**102,542**
B	**Catchment Area Treatment**				
	Soil and Moisture Conservation Charges			30% of the Total CA	30,763
				Total (D)	**30,763**
C	Safety Zone				0
D	**Additional other Charges**		Qty.	Rate	
		Total (F)	0	0	0
E	Net Present Value of Forest Land to be diverted			Rs. 887000/-per ha.	26,078
	Grand Total (A+B+C+D+E) to be deposited in CAMPA Fund				**159,382**

Deputy Conservator of Forest,
Panipat